

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौ

दिनांक	फर्द अहकाम
12/5/25	<p>पत्रावली पेश हुई। पीठासीन अधिकारी उपस्थित, पत्रावली गतादेशानुसार वास्तविकता की जांच की गई। दिनांक 19-6-25 को पेश हो।</p>
19/6/25	<p>पत्रावली पेश हुई। पीठासीन अधिकारी उपस्थित। पत्रावली गतादेशानुसार दिनांक 3/10/25 को पेश हो।</p>
3/10/25	<p>पत्रावली पेश हुई। पीठासीन अधिकारी महोदय ग्रामीण सेवा शिबिर 2025 में व्यस्त होने के कारण पत्रावली गतादेशानुसार दिनांक 12/11/25 को पेश हो।</p>
12/11/25	<p>पत्रावली पेश हुई। पीठासीन अधिकारी राजकार्य में व्यस्त। पत्रावली गतादेशानुसार दिनांक 23/12/25 को पेश हो।</p>
23/12/25	<p>पत्रावली पेश हुई। बालाघाट जिला के उपरान्त भी वादी एवं उनके अधिवक्ता उपस्थित नहीं हुए। इसलिए मुं० नं० 38/2013 उगवानी कुबल्लरीराम बनाम चेताराज वंशो दावा वास्तविकता की जांच, लकासा एवं ह्यापी निषेधाज्ञा अदम्य हाजरी अदम्य फरवी में खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल सुभाह होकर बाद लकमीने नम्बर से काम की जांच दाखिल इफत हो। कादेश खुले न्यायालय में सुनाया गया।</p>